

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक

कक्ष - अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी, मध्यप्रदेश, भोपाल

दूरभाष : 0755-2674222, 2674282 फ़ैक्स : 2570852, ई-मेल: apccfre@mpforest.org

क्रमांक/अनुवि०/रोपणी/293/ 620

भोपाल, दिनांक : 11-3-14

प्रति,

1. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
एवं पदेन वन संरक्षक,
क्षेत्रीय वन वृत्त, मध्यप्रदेश
2. समस्त मुख्य वन संरक्षक,
अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त,
मध्यप्रदेश।

विषय: रोपणियों से प्रदाय किये जाने वाले पौधों के मानकीकरण के संबंध में प्रस्ताव।

संदर्भ: इस कार्यालय का पत्र क्रमांक/अनु.वि./रोपणी/147 दिनांक 21.01.2014 एवं पत्र क्रमांक/561 दिनांक 03.03.2014

---000---

विषयांतर्गत संदर्भित पत्रों के द्वारा अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त की रोपणियों से वृक्षारोपण हेतु प्रदाय किये जाने वाले पौधों के मानकीकरण एवं बीज संग्रहण का मानकीकरण किया गया है। पौधों के संख्यात्मक मानकीकरण के सरल क्रमांक 2 में सागौन रूटशूट नेकेड क्रोबार से रोपण हेतु उल्लेखित कॉलर गोलाई में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

क्र.	प्रजाति	आयु	लंबाई	कॉलर गोलाई	पॉलीथीन साईज
क. वन क्षेत्रों में रोपण हेतु					
2	सागौन रूटशूट नेकेड क्रोबार से रोपण हेतु	1 से 1¼ वर्ष	लम्बाई 9 इंच, रूट 8 इंच, शूट 1 इंच	5-8 सेंमी	वन क्षेत्र में सीधे क्रोबार पद्धति से रोपण किया जायेगा।



(वाय.सत्यम)

भा.व.से. 1983

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक : 11-3-14

पृष्ठां. क्रमांक/अनुवि०/रोपणी/293/ 621

- प्रतिलिपि: 1. वरिष्ठ निज सहायक, प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, (कार्य आयोजना एवं वन-भू अभिलेख) की ओर सूचनार्थ।
3. समस्त अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ।
4. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, कार्य आयोजना, भोपाल/जबलपुर/इन्दौर की ओर सूचनार्थ।



अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक
अनुसंधान विस्तार एवं लोकवानिकी
मध्यप्रदेश भोपाल